

25/6/25

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साक्षिक आदेश दिनांक 23/6/25 को पेश हो।

आज्ञाकारी पीठ

25/6/25

श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक न्याय/विविध/2025/42033 दिनांक 13/2/25 द्वारा न्यायालय उपसभ्य अधिकारी भीलवाड़ा में दिव्य, राष्ट्रीय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1958 की धारा 53, 58, 59, 62, 63, 64 एवं 212 के अन्तर्गत विवादाधीन सहयोग सवाईपुर की पत्रावलिया अंतर्गत होकर वास्तो सुनवाई प्राप्त हुई है। उक्त प्रकरणों में समस्त पक्षकारण को वास्तो सुनवाई ताल्ल किया जाकर कार्यवाही की जाती है। न्यायालय उपसभ्य अधिकारी भीलवाड़ा से अंतर्गत उक्त पत्रावलियों का सम्यक रूप से निस्तारण किये जाने हेतु एवं जाहिरियत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1958 की धारा 216 (3) में प्रदत्त शर्तियों का उपयोग करते हुए आदेशित किया जाता है कि उक्त समस्त पत्रावलियों में त्वरित न्याय प्रदान किये जाने एवं मुकदमापूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु केम कोर्ट दिनांक 25/6/25

आज्ञाकारी पीठ

25/6/25

अतः जमीन गारा जलदा जलदा जलदा

कोई कार्यवाही मंजूर नहीं है

जाहिर किया जाता है कि जिले में जलदा

जलदा जलदा जलदा जलदा

जलदा जलदा जलदा जलदा

जलदा जलदा जलदा जलदा

जलदा जलदा जलदा जलदा

जलदा जलदा जलदा जलदा

जलदा जलदा जलदा जलदा

जलदा जलदा जलदा जलदा

25/6/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा